न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–47/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00046)

1. नेमीचन्द पुत्र श्योकरण,
2. सुभाष पुत्र श्योकरण,
3. कृष्णकुमार पुत्र श्योकरण,
4. संतोष पुत्री श्योकरण,
5. गीता पुत्री श्योकरण,
6. अजय कुमार पुत्र सुलोचना पुत्री श्योकरण,
7. विजय कुमार पुत्र सुलोचना पुत्री श्योकरण, जाति मेघवंशी, निवासी मिलनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
3. सोना देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह, जाति जाट,
4. विमला देवी पत्नी रमेश कुमार, जाति जाट जरिये मुख्त्यारआम राजेनद्र सिंह पुत्र सरदारा राम जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम मीलनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 14.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 09.12.2016 (प्रकरण संख्या 42/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि खसरा नम्बर 75 रकबा 1.99 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 2.73 हैक्टयर वाके ग्राम मीलनगर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू का अपीलान्टान खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा उक्त आराजी को शांन्तिपूर्वक तरीके उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में ना तो पूर्व में कोई रास्ता था और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता चालू है इसके बावजूद तहसीलदार नवलगढ ने दिनांक 25.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के समक्ष पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व अन्य आराजी के खातेदारान को कोई नोटिस नही दिया गया और ना ही साक्ष्य, व जवाब देही का अवसर प्रदान किया गया, केवल मात्र तहसीलदार नवलगढ के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 75 में से 3 एयर व खसरा नम्बर 90 में 3 एयर गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश प्रदान कर दिया गया जो गलत खिलाफ मनशाये कानूनन व वाकेआत विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट्स व अन्य आराजी के खातेदारान को भी कोई नोटिस किसी प्रकार का नही दिया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि जब तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता निकालने का प्रयास किया तो जानकारी करने पर पता चला कि तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 के तहत प्रस्तुत कर गलत तरीके से रास्ते का आदेश अपीलान्ट की आराजी में से करा लिया गया है जिसके वास्तविकता जांच की लिऐ अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के न्यायालय में जानकारी की तो पता चला कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 09.12.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जिस पर अपीलान्ट संख्या 3 ने अपने भाई अपीलान्ट संख्या 1 जो कि सेना में सी.आर.पी.एफ. में तैनात है, उक्त को कार्यवाही की सूचना दी जिस पर वह तुरन्त अवकाश लेकर आये और सारे तथ्यों की जानकारी कर दिनांक 26.02.2019 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 26.02.2019 को ही प्राप्त हुई जिस पर वकील साहिबान से सलाह मशहरा लिया गया जिन्होने अपील करने की सलाह दी, पैसे आदि का इन्तजाम कर जानकारी के दिन से व नकल प्राप्त करने के दिन व पैसे आदि का इन्तजाम कर अविलम्ब यह अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई तथा उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 के विरूद्ध अन्य खातेदार द्वारा भी अपील संख्या 315/2017 न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से अन्य खातेदारान भी प्रभावित है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ, जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने भी अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ग्राम मीलनगर पटवार हल्का पबाना, तहसील नवलगढ स्थित खसरा नम्बर 96 रकबा 1.93 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार है और खसरा नम्बर 96 में काश्त हेतु आने–जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 80, 83, 93, 91, 90 में से होकर वर्षो पुराना प्रचलित रास्ता है लेकिन राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शें में अंकन नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर सभी काश्तकारों की सहमति से वर्षो से प्रचलित पुराने रास्ते को राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शें में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

करवाया गया जिसका जमाबन्दी वर्ष 2016 में हो जाने व अपीलार्थी उपभोग–उपयोग करते रहने के पश्चात् भी अपीलार्थी ने अपीलाधीन आदेश में वर्णित रास्ते से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को पक्षकार कायम किये बिना ही मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है जिससे रेस्पोडेन्ट के अधिकार विपरित प्रभावित होते है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनने पेश किया गया जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा स्वीकार कर पक्षकार बनाया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के स्थगन आदेश दिनांक 12.03.2019 के पश्चात् उक्त स्थगन आदेश की आड़ में अपीलाधीन चालू रास्ते को दिनांक 23.07.2019 को बन्द कर दिया गया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 एवं अन्य काश्तकारान को अपनी हक हकूक की आराजी में आने–जाने में बहुत बडी परेशानी हो रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त रास्ता सैकड़ो वर्ष पुराना चालू रास्ता है जिसका उपयोग–उपभोग आम जन वर्षो से करते चले आ रहे है जिसे राज्य सरकार के आदेशों की पालना में तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड की जॉच के पश्चात् प्रस्ताव बाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें एवं अपीलार्थी द्वारा बन्द किया गया वर्षो पुराना चालू रास्ता वापस खुलवाया जावें ताकि रेस्पोडेनट संख्या 3 व 4 व अन्य आम जन को राहत मिल सकें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक 1318 दिनांक 25.10.2016 के अनुसार ग्राम मीलनगर पटवार हल्का पबाना के चालू स्थाई रास्तों के प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिससे आम जनता को अपनी आराजी में आने–जाने एवं कृषि कार्य में सोहलियत होती है तथा अपीलार्थी द्वारा वर्षो पुराने चालू रास्ते को अवरूद्ध किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 द्वारा ग्राम पबाना की आराजी खसरा नम्बरान 2, 9, 971/5, 12 लगायत 15, 1159/67, 88, 961/88, 87, 981/25, 75, 90, 74, 68, 1159/67, 970/69, 69, 80, 83, 91, 93, 90, 93 में वर्षो पुराने चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अंकन किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन अदेश दिनांक 09.12.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय तीन माह में पारित करे।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर